



(वेबसाईट पर अपलोड हेतु)

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फ़ैक्स :- 2226906, फ़ोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
E-mail :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / विद्युत / 2024 / 18062

दिनांक :- 26/12/2024

ई-निविदा सूचना संख्या 15 / विद्युत / 2024

नगर निगम बीकानेर द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ईच्छुक सक्षम/पात्र सम्भरणकर्ता जो कार्य करने/सामग्री सम्भरण करने के लिए अनुभवी हो, से निर्धारित प्रपत्र में 01 वर्ष हेतु वार्षिक दर संविदा पर ई-बोली प्रक्रिया से ऑनलाईन बोलियाँ आमंत्रित की जाती है। कार्यों की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्तें इत्यादि का सम्पूर्ण विवरण राज्य सरकार के ऑनलाईन पोर्टल eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in तथा नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं बयाना (EMD) राशि जमा करवाने के पश्चात् निविदा को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाखों में)	प्रोसेसिंग शुल्क (MDRISL)	निविदा शुल्क	बयाना राशि (EMD)	कार्य अवधि
1.	बीकानेर नगरीय क्षेत्र में स्थापित सीसीएमएस पैनल्स के संधारण का कार्य।	45.35	500/-	1000/-	2%	12 माह

ऑनलाईन निविदा अपलोड करने की प्रारम्भिक दिनांक व समय

: 26/12/2024 को 09:30 बजे से

ऑनलाईन निविदा अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय

: 04/1/2025 को 18:00 बजे तक

ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय

: 06/01/2025 को 15:00 बजे पश्चात्

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

क्रमांक / विद्युत / 2024 / 18063-68
प्रतिलिपि :-

दिनांक : 26/12/2024

- श्रीमान् प्रशासक महोदय, नगर निगम बीकानेर।
- वित्तीय सलाहकार, नगर निगम बीकानेर।
- उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम), नगर निगम बीकानेर।
- अधिशायी अभियंता (विद्युत), नगर निगम बीकानेर।
- सहायक लेखाधिकारी (द्वितीय), नगर निगम बीकानेर।
- प्रबंधक, ओसवाल डाटा प्रोसेसर, नगर निगम बीकानेर।
- नोटिस बोर्ड।

Signature valid

Digitally signed by Manank Manish
Designation: Commissioner
Date: 2024.12.25 21:40:57 IST
Reason: Approved
नगर निगम, बीकानेर





बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फ़ैक्स :- 2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
E-mail :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक/विद्युत/2024/18069

दिनांक :- 26/12/2024

ई-निविदा सूचना संख्या 15/विद्युत/2024

नगर निगम बीकानेर द्वारा विद्युत सम्बन्धित कार्य (अनुमानित लागत राशि 45.35 लाख रुपये) हेतु सक्षम/पात्र सम्भरणकर्ता जो कार्य करने/सामग्री संभरण करने के लिए अनुभवी हो, से 01 वर्ष हेतु वार्षिक दर संविदा पर निर्धारित प्रपत्र में ई-बोली प्रक्रिया से ऑनलाईन बोलियाँ आमंत्रित की जाती है। निविदा कार्य से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण एवं तिथि राज्य सरकार की ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <http://eproc.rajasthan.gov.in>, www.sppp.rajasthan.gov.in तथा नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड की जा सकती है।

1. UBN Code :-

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

क्रमांक/विद्युत/2024/18069
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 26/12/2024

- श्रीमान् निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा का प्रकाशन निर्धारित समाचार पत्र में RTPP के नियम 43(6) के अनुसार प्रकाशित करने का श्रम करावें एवं Intimation नगर निगम बीकानेर की ई-मेल आईडी nagarnigambikaner@gmail.com पर भिजवाने का श्रम करें।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Manank Manish
Designation: Commissioner
Date: 2024.12.25 22:40:57 IST
Reason: Approved

-: ई-टेंडर हेतु निविदादाता के लिये निर्देश :-

- निविदा पूर्णतया ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा भरी जावेगी। इच्छुक निविदादाता को अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
- निविदादाता द्वारा निविदा की निर्धारित टेंडर फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं कार्य राशि की 2 प्रतिशत बयाना (EMD) राशि का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर **Pay Online Tender ऑप्शन** द्वारा **Online Tender, RISL, EMD Fee Pay** पर होगा। निविदा का ऑनलाईन भुगतान करने के पश्चात् जारी हुई रसीद की प्रति को ऑनलाईन वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- निर्धारित शुल्क एवं EMD राशि से कम भुगतान करने वाली बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा निविदा हेतु अयोग्य माना जावेगा।
- प्रोसेसिंग शुल्क MDRLSL, Jaipur के नाम से देय होगा एवं शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :-

कार्य की अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	निर्धारित शुल्क
50 लाख तक	500/-
50 लाख से अधिक 01 करोड़ से कम	1500/-
01 करोड़ से अधिक 05 करोड़ से कम	2000/-
05 करोड़ से अधिक	2500/-

- निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :-

नाम	आयुक्त, नगर निगम बीकानेर
कार्य की अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	निर्धारित शुल्क
10 लाख तक	500 / -
10 लाख से अधिक	1000 / -

- इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को अपनी फर्म के नाम से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को ऑनलाईन वेबसाईट पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो ई-निविदा में डिजिटल रूप से साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सी.सी.ए. द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास में पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है।
- निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र ईलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर हस्ताक्षर सहित अपलोड करना होगा। उक्त के अभाव में प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- ई-निविदा प्रपत्रों को जमा करवाने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लें कि निविदा प्रपत्रों से सम्बन्धित समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ हस्ताक्षर मय सील सहित संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है।
- टेंडर के प्रपत्रों में आवश्यक समस्त कॉलम को समुचित रूप से भरकर ही ऑनलाईन दर्ज करें।
- यदि निविदादाता टेंडर को ऑनलाईन जमा करवाने में किसी भी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- किसी भी बोलीदाता की बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
- राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, सामान्य वित्त एवं लेखा नियम तथा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम लागू होंगे।
- RPWA-100 में वर्णित समस्त शर्तें वर्तमान परिपेक्ष्य में लागू होंगी।
- किसी प्रकार की टंकणीय त्रुटि होने की स्थिति में विभागीय ISOR/ESR के निर्देशों के अनुसार कार्य किया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by **Mayank Manish**
Designation: **Commissioner**
Date: 2024.12.25/21:40:57 IST
Reason: **Approved**
नगर निगम बीकानेर

-: तकनीकी निविदा प्रपत्र :-

निविदा में भाग लेने वाली फर्मों के तकनीकी बिड की जाँच निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर ही की जावेगी। संवेदक द्वारा तकनीकी बिड मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार दस्तावेज स्केन कर पीडीएफ फॉरमेट में अपलोड करने होंगे :-

क्र.सं.	दस्तावेजों का विवरण
1.	निविदादाता द्वारा निविदा की निर्धारित टेण्डर फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं कार्य राशि की 2 प्रतिशत धरोहर राशि (EMD) का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से नगर निगम बीकानेर की वेबसाइट www.bikanermc.org पर Pay Online Tender ऑप्शन द्वारा Online Tender, RISL, EMD Fee Pay पर होगा। निविदा का ऑनलाईन भुगतान करने के पश्चात् जारी हुई रसीद की प्रति को ऑनलाईन वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
2.	फर्म का जीएसटी विभाग द्वारा जारी जीएसटी सर्टिफिकेट मय नवीनतम जीएसटी रिटर्न प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
3.	पैन कार्ड की सत्यापित प्रति।
4.	कर्मचारी भविष्य निधि हेतु (EPF) पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
5.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ESI), 1948 पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
6.	आय कर एवं जीएसटी कर बकाया ना होने का राशि 100 रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ-पत्र। (संलग्न प्रारूप-01)
7.	किसी भी राजकीय कार्यालय में फर्म का वर्तमान में विवर्जित/ब्लैकलिस्टेड नहीं होने का 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र नोटेरी सहित अपलोड करना अनिवार्य होगा। (संलग्न प्रारूप-02)
8.	नगर निगम बीकानेर कार्यालय में ब्लड रिलेशन कार्यरत नहीं होने बाबत 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र। (संलग्न प्रारूप-03)
9.	निविदादाता द्वारा आरटीपीपी के एक्ट के सेक्शन 7 एवं 11 मय घोषणा पत्र राशि 100 रुपये के स्टाम्प पर प्रतिलिपि। (संलग्न प्रारूप-04)
10.	संवेदक द्वारा अंडर टैकिंग राशि 100 रुपये के स्टाम्प पर देनी होगी। (संलग्न प्रारूप-05)
11.	कार्यालय वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक के अन्तर्गत विद्युत निरीक्षणालय द्वारा जारी डिजिटल कॉन्ट्रैक्टर लाईसेंस की प्रति। उक्त के अभाव में पुराना लाईसेंस मान्य नहीं होगा। अतः सभी निवेदकों को उक्त डिजिटल लाईसेंस की प्रतिलिपि निविदा के साथ www.eproc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी।
12.	विद्युत कार्य हेतु किसी भी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय में निर्धारित श्रेणी में निम्नानुसार पंजीयन की सत्यापित प्रति :- 1. E-EWSD-I st Any Amount 2. E-EWSD-II nd Up to 50.00 Lacs 3. E-EWSD-III rd Up to 20.00 Lacs 4. E-EWSD-IV th Up to 07.50 Lacs
13.	संवेदक द्वारा निविदा दस्तावेज मय समस्त निविदा प्रपत्रों में संलग्न Annexures A, B, C, D, and SR-11 Form etc. पर स्वयं प्रमाणित कर ऑनलाईन अपलोड करना होगा।

नोट :- निविदादाता को बिन्दु संख्या 01 से 13 में वर्णित समस्त दस्तावेजों को तकनीकी बिड भाग में ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।




कनिष्ठ अभियंता (वि.)
नगर निगम, बीकानेर




अधिशोषी अभियंता (वि.)
नगर निगम, बीकानेर



सहा.लेखाधिकारी
नगर निगम, बीकानेर



वित्तीय सलाहकार
नगर निगम, बीकानेर



उपायुक्त
नगर निगम, बीकानेर

निविदादाता के सील मय हस्ताक्षर

-: निविदा की सामान्य शर्तें :-

1. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा एवं किसी भी दशा में सशर्त बोली/निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जावेगा, जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
2. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा करवाने से मुक्त होंगे।
3. कार्य सम्पादन प्रतिभूति :- माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम 5 प्रतिशत एवं संकर्मों के मामले में 10 प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों के मामले में जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIIFR) के समक्ष लम्बित है, प्रदाय आदेश की रकम का 1 प्रतिशत होगी। RTPP 2013 के नियम 75 के प्रावधान अनुसार राशि जमा करवानी होगी।
4. बोली प्रतिभूति :- उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी, जो कि नगद ऑनलाईन माध्यम से जमा करवानी होगी। इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि (EMD) प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों से बोली प्रतिभूति की घोषणा ली जावेगी एवं कार्य की बयाना राशि (EMD) प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
5. असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जावेगा।
6. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहरण कर दी जावेगी :-
 1. जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है।
 2. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार यदि कोई हो का निष्पादन नहीं करता है।
 3. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
 4. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करवाता है।
7. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जावेगी। इसमें कोई त्रुटियाँ /उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई दरें अस्पष्ट होने पर शब्दों में लिखी गई दर मान्य होगी।
8. निविदाएं उनके खोले जाने की दिनांक से 03 माह (90 दिवस) की अवधि के लिये मान्य होगी।
9. निविदादाता फर्म अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगी या उसे भाडे पर नहीं देगी।
10. बयाना राशि का प्रतिदाय (Refund of Earnest Money) असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद या यथा शीघ्र लौटाई जाएगी।
11. बयाना राशि से छूट उन फर्मों को है जो SSI यूनिट/MSME के अधीन पंजीकृत है, उन मदों के सम्बन्ध में जिनके के लिए उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदाएं आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के 0.5 प्रतिशत दर पर बयाना राशि जमा करवानी होगी।
12. क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कार्य कौशल की निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।
13. बोलीदाता द्वारा कार्यालय के किसी कार्मिक को बोली के संबंध में या अन्य प्रकार से दबाव बनाने या परेशान करने पर बोली दाता/फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाकर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
14. बोली दस्तावेज में वर्णित शर्तों, प्रावधान, शास्ति आदि के सम्बन्ध में RPWA-100 के प्रावधान लागू होंगे।
15. अनुबंध अवधि में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद या विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य/बाध्य होगा।
16. तकनीकी योग्यता के निर्धारण के लिए समस्त शपथ पत्र पर घोषणा राजस्थान सरकार के स्टाम्प पर पृथक पृथक प्रस्तुत किया जावेगा जिस पर उपापन समिति या आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य/बाध्य होगा।
17. बोली दस्तावेज को डाउनलोड करके बोली को दस्तावेज में वर्णित समस्त शर्तों, प्रावधान, शास्ति आदि अच्छे से पढ़ कर भली भाँति समझ कर उनको स्वीकार करने के प्रमाण में बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर मय सील कर तकनीकी बोली दस्तावेज के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
18. ई-बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन और उपांतरण ऑनलाईन ही अंतिम तिथि से पूर्व किया जावेगा। ऑफलाईन या कार्यालय में प्रस्तुत पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
19. बोली प्रक्रिया पर बोली दाता को कोई भी आपत्ति होने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान के अनुसार अपील की जा सकती है तथा शिकायत पर विचार नहीं किया जावेगा।

निविदादाता के सील मय हस्ताक्षर

20. बोली दस्तावेज में किसी शर्त, प्रावधान, शास्ति आदि का विरोधाभास होने पर आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य/बाध्य होगा।
21. वित्त विभाग राज सरकार जयपुर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसरण में कोई भी संशोधन एवं परिपत्र जारी किया जाता है तो स्वतः ही इस बोली दस्तावेज एवं वार्षिक दर अनुबंध का हिस्सा होगा एवं लागू होगा।
22. उपापन संस्था किसी भी निविदा जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, को स्वीकार करने, बिना कोई ठोस कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक निविदादाताओं के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म या प्रदायकर्ता से अधिक को वितरित करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखेगी।
23. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :
 1. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
 2. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
 3. एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, मोबाइल नम्बर।
 4. कंपनी के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
24. यदि संविदा के निर्वाचन, आशय या संविदा की शर्तों के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों के द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्त (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंधित नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।
25. आरटीपीपी एक्ट 2012, नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होंगे। आरटीपीपी 2013 के नियम 75ए के अनुसार कार्य में दर 15 प्रतिशत से अधिक बिलो/नीचे प्राप्त होने पर बिड की 85 प्रतिशत राशि में से भरी गई बिड के अन्तर राशि का 50 प्रतिशत की APS राशि अनुबंध संपादन से पूर्व निगम कोष में डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंक चैक, बैंक गारंटी, नेट बैंकिंग एवं नकद के रूप में नियमानुसार जमा करवानी होगी।
26. संवेदक द्वारा निविदा दस्तावेज मय समस्त निविदा प्रपत्रों में संलग्न समस्त प्रारूप व Annexures (Annexures A, B, C, D, and SR-11 Form etc.) पर स्वयं प्रमाणित कर ऑनलाईन अपलोड करना होगा।
27. निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
28. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले निविदादाता निविदा सम्बंधित समस्त नियमों एवं शर्तों को भली-भाँति पढ़ एवं समझ लेंगे एवं शर्तों से सहमत होने के पश्चात् ही निविदा प्रक्रिया में भाग लेंगे।

कनिष्ठ अभियंता (वि.)
नगर निगम, बीकानेर

अधिसूची अभियंता (वि.)
नगर निगम, बीकानेर

सहायक लेखाधिकारी
नगर निगम, बीकानेर

वित्तीय सलाहकार
नगर निगम, बीकानेर

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

निविदादाता के सील मय हस्ताक्षर

—: निविदा की विशिष्ट शर्तें :-

1. संवेदक पूर्व स्थापित सभी सीसीएमएस पैनल्स की भौतिक स्थिति का पूर्णतया अवलोकन करने के बाद ही निविदा में भाग लेना सुनिश्चित करें तथा कार्य समाप्ति के पश्चात् समस्त सीसीएमएस पैनल्स को चालू/सुचारु स्थिति में निगम को सुपुर्द करना होगा। निविदा पश्चात् संवेदक ही कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
2. संवेदक को तकनीकी विद्युत अभियंताओं के निर्देशानुसार सीसीएमएस पैनल को अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट करना, नया लगाना अथवा हटाना होगा।
3. संवेदक को सीसीएमएस पैनल के टूटे कवर, लॉक, जला हुआ मीटर, रोटरी स्विच, मैन स्विच एमसीबी, पावर कंट्रोलर, आरएलसी, प्लंजर, कॉन्टेक्टर, टाईमर, कनेक्टर आदि सामान स्वयं के स्तर पर ही बदलना/ठीक करना होगा।
4. संवेदक को सीसीएमएस पैनल में लगे विद्युत मीटर की मासिक रीडिंग की हार्डकॉपी को प्रत्येक महीने में प्रस्तुत करनी होगी।
5. संवेदक को मीटर से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जैसे – मीटर में फेज नहीं आना, मीटर जल जाना, मीटर की केबल खराब होना आदि को ठीक करने की कार्यवाही सम्बन्धित बीकेईएसएल कम्पनी से समन्वय स्थापित कर स्वयं के स्तर करनी होगी।
6. संवेदक को भविष्य में यदि निगम क्षेत्र में नई लाईट लगाई जाती है तो उनके सीसीएमएस पैनल के सर्किट पर करना होगा, जिसकी कार्यवाही संवेदक को स्वयं के स्तर पर करनी होगी।
7. संवेदक को सीसीएमएस चोरी/टूट-फुट/क्षतिग्रस्त होने पर नगर निगम के सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता को सूचित करना होगा तथा उक्त सीसीएमएस को दुरुस्त करने व बदलने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
8. यदि सीसीएमएस पैनल से कोई विद्युत चोरी करता है तो इस हेतु सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता को सूचित करना होगा।
9. संवेदक को सीसीएमएस पैनल के रख-रखाव हेतु समस्त सामग्री स्वयं के स्तर पर ही लानी/बदलनी होगी।
10. संवेदक को सीसीएमएस पैनल्स के समय का निर्धारण (On/Off) ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन को देखते हुए सम्बन्धित तकनीकी अभियंताओं के निर्देशानुसार बदलना होगा।
11. सीसीएमएस पैनल्स के रख-रखाव हेतु संवेदक को दो टीम नियुक्त करनी होगी एवं प्रत्येक कार्मिक के नाम मय मोबाइल नम्बर की सूची प्रस्तुत करनी होगी। संवेदक द्वारा वार्ड वार आवंटित प्रत्येक कार्मिक की सूची भी प्रस्तुत करनी होगी।
12. संवेदक को सीसीएमएस पैनल्स से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों का निस्तारण 24 घंटों के भीतर करना होगा अन्यथा जिस दिन से शिकायत प्राप्त हुई है, उस दिन से प्रति सीसीएमएस प्रति दिन 500/- रुपये की शास्ति आरोपित की जावेगी।
13. संवेदक यदि कार्यादेश पश्चात् किसी दिन कार्य बंद रखता है तो उस दिन के अतिरिक्त 5000/- रुपये प्रति दिन की शास्ति आरोपित की जाएगी।
14. सर्वे के दौरान यदि सीसीएमएस असमय चालू अथवा बंद पाए जाने पर प्रति सीसीएमएस प्रतिदिन राशि 500/- रुपये की शास्ति आरोपित की जावेगी।
15. संवेदक को कुल सीसीएमएस पैनल्स के 05 प्रतिशत पैनल्स हेतु स्पेयर पार्ट्स यथा टाईमर, एमसीबी, कॉन्टेक्टर, मैन स्विच, रोटरी स्विच, आरएलसी/कम्यूनिकेशन कार्ड, पावर कंट्रोलर, कनेक्टर, वायरिंग केबल आदि की इन्वन्टरी रखनी होगी जिसका निगम के अधिकारियों द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा।
16. किसी भी आपातकालीन स्थिति यथा बारिश, तुफान, वीवीआईपी विजिट एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार रात के समय में भी सीसीएमएस पैनल को ठीक/चालू करने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। जिसका पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
17. संवेदक को सीसीएमएस पैनल्स की वायरिंग, केबल को पूर्णतः इन्सुलेटेड/टेपिंग करना होगा। जिसे बारिश/तुफान आदि के समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। खुली केबल/पैनल के अन्दर जोईन्ट्स पर टेप लगाकर सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी। संवेदक की लापरवाही से खुले तारों के कारण यदि किसी भी जान-माल आदि को करंट लगने से दुर्घटना होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
18. संवेदक को उक्त निविदा अनुबंध अवधि समाप्त होने से पूर्व सभी सीसीएमएस पैनल को चालू व सुव्यवस्थित स्थिति में नगर निगम को हरतान्तरित करने होंगे।

निविदादाता के सील मय हस्ताक्षर

19. यदि किसी कारणवश सीसीएमएस पैनल जल जाता है तो उसके स्थान पर उसी कम्पनी (EESL-Surya, Schnell) या नगर निगम के सक्षम तकनीकी अभियंता से अनुमति लेकर समकक्ष सीसीएमएस संवेदक को स्वयं के हर्जे-खर्चे पर लगाना होगा।
20. नगर निगम द्वारा भविष्य में यदि अनुबंध अवधि में नए सीसीएमएस पैनल लगाए जाते हैं तो संवेदक को उन सीसीएमएस का रख-रखाव व संधारण संवेदक को करना होगा। जिसका प्रति सीसीएमएस कार्यादेश अनुरूप ही भुगतान किया जावेगा।
21. संवेदक को प्रत्येक दिवस विद्युत शाखा से कम्पलेंट प्राप्त करनी होगी एवं तय समयावधि में शिकायत का निस्तारण कर शिकायत पंजिका में दर्ज करना होगा।
22. संवेदक को प्रतिदिन की प्राप्त शिकायतों हेतु एक पृथक रजिस्टर संधारित करना होगा, जिसे साप्ताहिक/पाक्षिक रूप से सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) द्वारा प्रमाणित करवाना होगा। उक्त प्रमाणीकरण के आधार पर बिल भुगतान की कार्यवाही व शास्ति आरोपित की जावेगी।
23. संवेदक को सभी सीसीएमएस पैनल्स की जीपीएस लोकेशन व वार्ड संख्या सहित सम्पूर्ण पते के साथ वेबपोर्टल पर अपलोड करनी होगी। जिससे 24x7 सीसीएमएस पैनल्स की निगरानी रखी जा सके।
24. संवेदक को वेबपोर्टल के अतिरिक्त मोबाइल एप्लिकेशन का प्रावधान भी रखना होगा, जिसमें वेबपोर्टल की समस्त कार्य प्रणाली उपलब्ध हो।
25. संवेदक को प्रत्येक दिवस सॉफ्टकॉपी में सीसीएमएस पैनल की रिपोर्ट कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें बंद सीसीएमएस पैनल्स की संख्या व चालू सीसीएमएस पैनल्स की संख्या आदि स्पष्ट रूप से अंकित हो।
26. संवेदक को बीकानेर नगरीय क्षेत्र में स्थापित समस्त सीसीएमएस पैनल्स की इनपुट/आउटपुट कनेक्टिंग केबल को कॉपर केबल (Copper Cable) से प्रतिस्थापित करना होगा।
27. संवेदक को सभी सीसीएमएस पैनल्स के अन्दर बंद/खराब Energy Meter (Single/Three phase) को प्रतिस्थापित/नवीन स्थापित करना होगा, जिसका पृथक से कोई भुगतान निगम द्वारा देय नहीं होगा।
28. सीसीएमएस के सुचारु रूप से संचालन हेतु संवेदक द्वारा Contactor based CCMS को Technical specifications of contract के अनुसार Latch based से प्रतिस्थापित करना होगा।
29. संवेदक को नगर निगम बीकानेर क्षेत्र में स्थापित समस्त सीसीएमएस पैनल का सर्वे कर प्रत्येक सीसीएमएस पैनल्स से जुड़ी स्ट्रीट लाइटों की पुनः वॉटेज वार गणना (Lamp Auditing) करनी होगी, जिसे वेबपोर्टल पर दर्शाया जाना अनिवार्य होगा एवं उक्त लाइटों के चालू/बंद की वर्तमान स्थिति को भी दिखाया जाना होगा।
30. संवेदक को किसी भी समय चालू सीसीएमएस पैनल्स 95 प्रतिशत तक कार्यशील अवस्था में रखने होंगे, इससे कम पाए जाने पर संवेदक को स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर शास्ति आरोपित की जावेगी।
31. संवेदक को सभी सीसीएमएस पैनल्स यथा स्थिति में संभलाए जावेंगे तथा संवेदक को सभी सीसीएमएस पैनल्स का सर्वे कर आवश्यक स्पेयर पार्ट्स को प्रतिस्थापित/नवीन लगाकर सुचारु रखना होगा, जिसके लिए निगम द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
32. संवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी सीसीएमएस पैनल्स हर समय चालू स्थिति में रहें व Non-Communicating रहने पर शास्ति आरोपित की जावेगी।
33. संवेदक को सीसीएमएस की कार्य प्रणाली Technical specifications of Contract के अनुसार रखनी होगी।
34. संवेदक को सीसीएमएस से जुड़े सर्वर, सॉफ्टवेयर, सिम कार्ड आदि का सम्पूर्ण व्यय स्वयं के स्तर पर करना होगा।
35. स्ट्रीट लाइटों की स्विचिंग वास्ते निकाय में विभिन्न स्थानों पर सीसीएमएस पैनल स्थापित हैं। आवश्यक होने पर संवेदक को उक्त पैनल सम्बन्धित तकनीकी अभियंता (वि.) के निर्देशन पर अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट करना होगा, जिसमें पुराना कनेक्शन हटाना व नवीन कनेक्शन करना सम्मिलित होगा। इस हेतु संवेदक को पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
36. सप्लाइ में समस्या होने पर संवेदक को बीकेईएसएल से सम्पर्क कर समस्या का निस्तारण करना होगा।
37. संवेदक को एक हेल्पलाइन नम्बर स्थापित करते हुए आमजन/जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त दैनिक शिकायतों को दर्ज करना, सम्बन्धित रेक्टिफिकेशन टीम को भेजना तथा शिकायत का निस्तारण करने पश्चात् इनका रिकॉर्ड संधारित कर रिपोर्ट प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक रूप से हार्डकॉपी/सॉफ्टकॉपी में निगम को प्रेषित करने हेतु एक सुचारु सिस्टम विकसित करना होगा।
38. संवेदक को प्राप्त स्ट्रीट लाइट शिकायतों का निस्तारण/समाधान शिकायत के दर्ज होने के 24 घंटों के भीतर करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावेगी, जिसकी कटौती मासिक बिलों में से की जावेगी।

निविदादाता के सील मय हस्ताक्षर

39. संवेदक को सीसीएमएस पैनल्स की सतत् मॉनिटरिंग व समयबद्ध सूचना/रिपोर्ट/रिकॉर्ड संधारण हेतु अनुभवी एवं कुशल व्यक्ति को प्रबंधक/मैनेजर नियुक्त करना होगा, जो प्रतिदिन Complaint Status report, weekly complaint status report, fortnight प्राप्त शिकायतों का सूची व मासिक कम्प्लेट स्टेटस रिपोर्ट हार्डकॉपी व सॉफ्टकॉपी में निगम कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करवाएंगे।
40. संवेदक को किसी टीम की अनुपलब्धता होने पर अतिरिक्त टीम की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कार्य बाधित ना हो।
41. संवेदक को कार्य प्रारंभ होने से पूर्व सभी टीमों की सूची व वार्डवार वितरण का विवरण लिखित रूप से निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। टीम कम होने पर आनुपातिक कटौती की जावेगी।
42. संवेदक को भुगतान सीसीएमएस पैनल्स वास्ते Per CCMS Basis पर भुगतान किया जावेगा।
43. संवेदक को वर्तमान में चालू हेल्पलाईन नम्बर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का संधारण भी करना होगा।
44. संवेदक को अति-आवश्यक व वीआईपी शिकायतें, फोन, मैसेज, व्हाट्स-एप्प आदि माध्यम से दी जावेगी, जिनका निस्तारण तुरन्त करना होगा।
45. किसी भी आपातकालीन स्थिति, वीवीआईपी विजिट आदि के दौरान उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश अनुसार संवेदक को अतिरिक्त टीम उपलब्ध करवाते हुए मौका स्थल पर उपस्थित रहते हुए कार्य सम्पादित करना होगा, जिसका पृथक से निगम द्वारा कोई भुगतान देय नहीं होगा।
46. संवेदक को राजस्थान संपर्क, बीकानेर समाधान एप्प व रात्रिकालीन सर्वे से प्राप्त शिकायतों का अंकन विशिष्ट रूप से करना होगा जिसे चिह्नित कर पृथक रिकॉर्ड संधारण किया जा सके।
47. यदि कार्य करने के दौरान कोई दुर्घटना/अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी। निगम किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा और ना ही कोई दावा/क्लेम मान्य होगा।
48. संवेदक को सीसीएमएस पैनल्स के चोरी होने पर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता के साथ मौका निरीक्षण कर जाँच रिपोर्ट कनिष्ठ अभियंता से प्रमाणित करवाकर सम्बन्धित पुलिस थाना में स्वयं के स्तर पर प्राथमिकी/एफआईआर दर्ज करवानी होगी।
49. यदि संवेदक की कार्यशैली संतोषजनक नहीं है तो उन्हें नोटिस जारी कर सूचित किया जावेगा ताकि कार्यशैली को सुधारने हेतु निर्देशित किया जावेगा। यदि इसके बाद भी कोई सुधार नहीं होता है तो 03 नोटिस तामिल किए जाकर अनुबंध श्रीमान् आयुक्त व माननीय महापौर, नगर निगम बीकानेर द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

-: शास्ति प्रावधान :-

1. उक्त कार्य जनहित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होने के कारण वर्ष पर्यन्त निरन्तर किया जाना है। किसी भी दिवस को कार्य बंद रखे जाने पर शास्ति 5000/- प्रति दिवस आरोपित की जावेगी।
2. सीसीएमएस से सम्बन्धित प्राप्त दैनिक शिकायतों को 24 घंटों के भीतर निस्तारित करना होगा अन्यथा प्रति सीसीएमएस प्रति दिवस 500/- रुपये की शास्ति आरोपित की जावेगी।
3. किसी भी समय NC (non communicating) पैनल्स कुल पैनल के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि NC पैनल 5 प्रतिशत से अधिक पाए जाने पर प्रति पैनल प्रतिदिन 200/- रुपये की शास्ति आरोपित की जावेगी।
4. सर्वे के दौरान यदि सीसीएमएस असमय चालू अथवा बंद पाए जाने पर प्रति सीसीएमएस प्रतिदिन राशि 500/- रुपये की शास्ति आरोपित की जावेगी।

4
कनिष्ठ अभियंता (वि.)
नगर निगम, बीकानेर

अधिशायी अभियंता (वि.)
नगर निगम, बीकानेर

सहा. लेखाधिकारी
नगर निगम, बीकानेर

वित्तीय सलाहकार
नगर निगम, बीकानेर

उपायुक्त
नगर निगम, बीकानेर

उपरोक्त समस्त शर्तें मेरे द्वारा भली-भाँति पूर्ण रूप से पढ़ ली/समझ ली गई हैं एवं मुझे समस्त शर्तें मान्य हैं।

निविदादाता के सील मय हस्ताक्षर

Technical specifications of Contract

1. Scope of work:

EESL had installed all CCMS panels for automatic switching on/off of street lights installed under municipal corporation Area. These LED street lights comprise of various wattages and makes. Scope of this work entails extensive and complete maintenance of these ccms panels including but not limited to field work, server maintenance, software, manpower deployment, spare installation/replacement, panel shifting, daily complaints receiving and troubleshooting.

2. Technical Specifications and electrical parameter of ccms installed under municipal area are as follows:

(i) Main parts of CCMS:

1. Controller and metering unit
2. Enclosure made of FRS material with IK10 and IP 65 rating.
3. Communication module.
4. Single phase or three phase MCB with plunger arrangement.
5. Single phase or three phase digital meter with ability to abstract data.
6. Main switch with on/off feature.
7. Tamper switch
8. Contactor with rating 32 amp/40 amp
9. Secondary digital timer

(ii) Rated Electrical parameters:

Sr. No.	Items	Specified Operating Range
1.	Connection type	System for Single Phase/Three Phase Switching points
2.	Voltage	240 volts P-N (+20% to -40% V_{ref}) on each phase
3.	Current	05 - 63 A for each phase (Withstands 120% I_{max}), Starting current-0.2% I_b
4.	Frequency	50Hz $\pm 5\%$ (47.5 to 52.5)Hz
5.	Power Factor	Zero(lag)-Unity-Zero(Lead)
6.	Accuracy	1.0
7	Withstand Voltage	440V up-to 5 minutes between Phase – Phase
8.	Rating	Rating of the CCMS units for each phase (including rating of safety equipment's - MCB, Relay, etc.) should be - 7.5 KW 15 KW

3. Functional parameters regarding maintenance of CCMS:

Contractor has to maintain whole system of CCMS Panels including web based functionality, data transfer as per specifications described below:-

Sr. No.	Function/Feature	Details
1.	Data	<p>The CCMS unit Should be able to capture (record) and provide following parameters at variable time-intervals.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cumulative Active Energy • Average Power Factor • Power on hours • Monthly Load on/off <p>Controller has the provision to store last 30 days data at one hour interval. All these data is accessible for reading, recording by downloading through HHT (Hand Held Unit) through optical port or USB/Bluetooth given on controller front. For HHT, a Smartphone-based solution for collecting/accessing data is also acceptable.</p>

2.	RTC	The controller should have a built-in calendar & clock, having an accuracy of +/- 1 minute per year or better, however meter may confirm to accuracy as per IS 13779. A separate internal Lithium battery back-up is provided for continuous operation of controller RTC for at least two years under controller un-powered conditions.
3.	Tampers	Following tampers should be logged with occurrence and restoration in FIFO manner : <ul style="list-style-type: none"> • Low Load • Over load • Low Power Factor • Under voltage • Over voltage • Magnet
4.	Astronomical Calendar for switching operation	Contractor has to update or generate list of all CCMS modules with their latitude and longitude of the installation for switching operation place controller itself decides switch on/off timings.
5.	Maintenance Mode of switching	In case of any emergency or for maintenance purpose, switching switching can be done using keypad - before operation password has to be punched using keypad. For maintenance, The interface for data access should be available.
6.	Switch weld & switch fail events	When Switch “on” operation failed condition is logged as Fail events switch fail event and when Switch “off” operation fails Condition is logged as switch weld event.
7.	Power on-off operation events	Switching events with the following reasons must be events logged: <ol style="list-style-type: none"> 1 Timed operation- As per astronomical calendar 2 Unscheduled operation – In maintenance mode 3 Event based like on over current, overload switching Last 20 events will be logged in controller.
8.	Power on-off events	Last 20 power on-off events with power off duration will be logged.
9.	Separate Energy Consumption registration for unscheduled switch on period	Last 20 events of maintenance mode with snap of energy register and date/time is logged in meter. In BCS, with these events, duration of these events and energy consumption during that period is also shown.
10.	Switching on overload/over current	Controller must be continue monitor over current & overload condition against the threshold defined in controller and if condition persist for predefined time period (default 5 minutes) then disconnection of switch will occurred. Controller will reconnect the switch after some predefined time interval (default 10 minutes) and will check again for the event condition, if condition persist again, switch will disconnected again else will run normally. In case of disconnection, controller will try for defined trial count (default 5 count) and after that will disconnect the switch for long defined sleep period (default 30 minutes). After sleep period switch reconnect activity will restart in same described manner. Every switching operation will be logged in meter.
11.	Communication	Controller stored data can be downloaded through its optical port or USB using HHU (Hand held Unit) or directly by Laptop using Base computer software. Controller should be able to interface with the communication module through a serial port
12.	Surge Protection	Standard CAT B 6000 V protection (IEC 61000-4-5)
13.	Programmable Scheduling	The schedule for light operations can be programmed on field or during installation overriding the astro-clock.

4. Web based software:

Central Control and Monitoring System functionalities:

- CCMS shall have a web-server to receive and record all data from the streetlight controllers.
- The Main page of software to shows real-time information about the cumulative load, number of faulty lights, total number of lights on/off (uptime %), number of faulty lights, number of faulty switching points.
- A separate tab in the software to show the list of CCMS units installed in the project area along with the meter parameters being showcased against each CCMS Unit.
- Alert in case of fault – describing the fault. Along with colour coding for unresolved faults based on time. Eg. One colour for fault which is unresolved since 0-12 hours, different colour for 12-24 hours and so on and so forth.
- A separate tab in the software to show the switch point summary which showcases the meter parameters, active alerts, link to the map page, etc.
- A separate tab in the software for - monitoring & controlling, Alerts, Maps, Configuration page, Reports – uptime, fault penalty, history, energy savings, power failure, operational hour, lamp failure.
- The server should display the faulty lights in each phase separately, instead of giving a total figure of faulty lights for all the 3 phases together.
- It should be able to communicate with any individual switching points or collectively amongst networked switching points for control and monitoring.
- It should be able to record, by association to a switch point, glowing and non-glowing hours of a group of LED luminaires attached to a particular switching point.
- It should be able to display the power failure details of a particular switching point.
- It should register all fault conditions like excess voltage/current drawn, lamps failure (by association to a significant drop in consumption), no-power supply, etc. through the instantaneous alert messages sent by the CCMS unit.
- It can generate MIS reports in Matrix as well as in Graphical format based on Power supply status, Energy Consumption, Over/Under Voltage/Load, System parameter / controllers
- i.e. Voltage, Current, Power factor, Cumulative kWh/kVAh for individual switching points
- It should be able to track the failure of lamps in a particular switching point by triggering alarm due to significant drop in power consumption.
- Different user authorization levels should be settable and the central server should be capable of handling high traffic.
- GIS Mapping should be done covering all switching points and the details of each switch point shall be viewable in the web application software through a Google-map interface or web based digital map.
- All the CCMS units should be remotely configured from the Central Control Unit:
 - Setting new ON/OFF timings
 - Setting the RTC time of Automation unit
 - Knowing the current status of any particular switching point.
 - Reset the unit.
 - The minimum interval for the update of data should be 15 minute but programmable up to 1 minute.
- Auto synchronization of controller with server timing to be further synchronized with standard GPS clock timing.
- Further system is able to indicate various faults
 - Failure of lights (by association to a drop in power consumption against a set benchmark)
 - Failure of contactor
 - Status of the incoming supply (power failure)
 - High /low voltage
 - Overload on the phases

- System to report Jamming/ hacking attempts and maintain status-quo in case of Jamming/ hacking attempts i.e. if lights are ON, they should remain ON till the default OFF time recorded in the system. In case lights are OFF at the time of Jamming attempt/ hacking, lights should remain OFF till default ON time recorded in the system
- Software to have asset management features for tracking of each street light, unique asset tag no., make, wattage, date of installation, date of replacement, reason for replacement
- Software to have complaint handling system for light failures, with citizen interface and
- Means of communicating repair update to complaining citizen through SMS.
- Ability to remotely upgrade the CCMS device firmware from central server.

5. Contractor has to install new panel as per new demand in Municipal Corporation Bikaner Area. Main feature of CCMS panel must be as following:

Controller and Metering unit:

- Schedule the timing of lights (pre-programmed based on astronomical clock or on field or through central control)
- ON/OFF Switch (on field or centrally)
- CCMS System for Capture the energy usage and other parameters at pre-determined interval and store data for 30 days
- Ability to connect with a communication device
- Ability to download data in field
- System protection against surges
- Ability to upgrade firmware on field using a communication device

Enclosure:

- Enclosure should be made of fire retardant FRS/ SMC material and with impact resistance of IK10 & IP 65.
- Dimensions of the enclosure box should be such as there should be adequate space to access components of the box for R&M purpose. The vendor must also ensure at least 20% space is left in the box for future up-gradation/devices to be added.
- The enclosure box must have a standard lock which cannot be opened by commonly available tools.
- Wiring inside the enclosure box should be done neatly with proper use connectors & numbering with use of Ferrule PVC Tube.

Communication Module:

- Ability to communicate securely with via cellular networks (GSM/GPRS) and/or RF networks
- Communication technology between CCMS unit and central server should be 3G hardware device which should be capable to run 2G/3G/4G as per availability in the site.
- Two-way communicator
- Ability to send data regarding energy usage, ON/OFF status etc. from controller
- Ability to give commands from a central level for switching ON/OFF scheduling etc. The software for CCMS UI should have provision for providing dimming in case same is provided in the lights.
- Ability to remotely upgrade the CCMS device firmware from central server

Software:

- A web-based / mobile based software package with a detailed information dashboard
- Ability to show the status of each controller on the dashboard.
- Inter-operability of all support services related to CCMS units.
- Ability to schedule and switch ON/OFF controllers remotely through the dashboard
- Reports in form of matrix as well as graphical representation
- Incorporate logics to determine fault detection at switching point level and power thefts and execute a user defined Standard Operating procedure to aid in issue remediation.

Hardware:

- Server uptime should be minimum 99.99% with disaster backup and sufficient storage capacity and processing power to ensure stable operation of CCMS throughout the contract period. Maintenance of the server and software is the responsibility of the vendor.

6. Specifications :

Single phase (240 Volt P-N, Whole Current, Class 1.0) or a Three phase system (Wires 3*240 Volts P-N, Whole Current, Class 1.0) electronic controller and energy controller compiled as per IS: 13779 & CBIP-88 with add on MCB.

- Single phase or Three phase system electronic controller and energy controller compiled as per IS: 13779 & CBIP-88 with add on MCB. Rating of the CCMS units for each phase (including rating of safety equipment's - MCB, Relay, etc.) should be
 1. 7.5 KW connected load to be considered
 2. 15 KW connected load is to be considered.
- Controller is also compatible for remote communication using GPRS/GSM modem for operations like controller data downloading, & relay ON-OFF for maintenance purpose. Controller Records events like supply ON-OFF and relay ON-OFF for analysis etc.
- The controller should be type tested in a NABL certified Lab
- The controller should be interfaced with a communication module which would wirelessly transmit data recorded to a dedicated server or on cloud based architecture. The communication module also relays commands to schedule and control the cluster of street lights.

Display and keypad:-

- LCD (Six Digits, 10mm*5mm, 40" UHD) is provided to display the controller parameters
- A keypad/ optical/ USB port/ Bluetooth/ suitable interface should be provided to access the information stored in the module and system programming
- Hand Held Unit should be universal & have a provision for secure login.

Constructional specifications:

S. No.	Descriptions	Details
1	Controller sealing	As per IS 13779 and CEA Metering Regulation 2006
2	Guarantee	7 years
3	Insulation	Withstand an insulation test of 4 KV and impulse test at 6 KV
4	Resistance of heat and fire	The terminal block and Controller case have safety against the spread of fire .They will not be ignited by thermal overload of live parts in contact with them as per the relevant IS 13779.

Latching Relay/Bi-Stable Switch/Isolation device

- Should conform to IEC - 61036/ 61037

Contactors

- Contactor conforming to relevant IEC/IS Standard

Polycarbonate Box - Enclosure:

- Enclosure should be made of fire retardant FRS/ SMC material and with impact resistance of IK10.
- Dimensions of the enclosure box should be such as there should be adequate space to access components of the box for R&M purpose. The vendor must also ensure at least 20% space is left in the box for future up-gradation/devices to be added.
- The enclosure box must have a standard lock which cannot be opened by commonly available tools.
- Wiring inside the enclosure box should be done neatly with proper use connectors & numbering with use of Ferrule PVC Tube.
- The enclosure should have theft control mechanism and generate alerts when opened or if the unit experiences motion of any kind beyond a configured threshold.

MCB

- Should conform to IEC62053/62054
- MCB along with design for protection & auto-recovery/self-healing is accepted.

Controller Gateway (Communication Module)

Sr. No.	Function/Feature	Details
1.	Power Supply	240 V AC
2.	Mobile / Communication Network	GSM/GPRS: Quad band 850/900/1800/1900 MHz
3.	Communication Method	TCP – IP via GPRS / 3G and/ or RF SMS
4.	Status of Sim	Based on LED on the module

Features:

- Remote ON/OFF in case bad weather, maintenance or emergency
- Remote RTC Synchronization of Street Light Controller
- Communication should be encrypted by 128 bit encryption
- Alert message in pre-defined abnormal system conditions through SMS (5 numbers) and mobile/web based application through GSM/GPRS/RF for:
 - MCB trips
 - Theft alerts
 - Group failure of lights
 - No output supply

शपथ पत्र

(राशि 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

मैं फर्म मैसर्स का प्रोपराइटर शपथ पूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर आयकर, जीएसटी एवं अन्य कर को जमा या करवाया जाता है। मेरी/हमारी/फर्म के विरुद्ध उक्त निविदा में भाग लेने तक किसी भी प्रकार का आयकर एवं जीएसटी कर बकाया नहीं है तथा इस संबंध में कोई वाद/प्रकरण बकाया नहीं है। यह घोषणा गलत/असत्य पाई जाती है तो फर्म के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए सहमत हूँ।

फर्म की सील मय हस्ताक्षर

शपथ पत्र

(राशि 100/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

मैं फर्म मैसर्स का प्रोपराइटर
शपथ पूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि गत 05 वर्षों में फर्म को किसी भी सरकारी
संस्था/अर्द्धसरकारी संस्था/विभाग/निगम निकाय में वर्तमान में ब्लैकलिस्टेड/विवर्जित नहीं किया
गया है। यदि यह घोषणा गलत/असत्य पाई जाती है तो फर्म के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही
के लिए सहमत हूँ।

फर्म की सील मय हस्ताक्षर

शपथ पत्र

(राशि 100/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

मैं फर्म मैसर्स का प्रोपराइटर
शपथ पूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि नगर निगम बीकानेर में कोई भी
कर्मचारी/अधिकारी/पार्षद/महापौर/अन्य में से नजदीकी रिश्तेदार कार्यरत नहीं है। यह घोषणा
गलत/असत्य पाई जाती है तो फर्म के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए सहमत हूँ।

फर्म की सील मय हस्ताक्षर

शपथ पत्र

(राशि 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

Declaration by the Bidder
in Compliance of Section 7 & 11 of the Act

In relation to our bid submitted to Commissioner, Municipal Corporation bikaner for Procurement of Tender to provide (Name of Work) work of municipal corporation for One years in response to their notice Inviting Bids No Dated..... We hereb Declare under section 7 & 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resource and competence required by the bidding document issued by the procuring Entity;
2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the central government or the state government or any local authority, as specified in the bidding document;
3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to our qualifiations to enter into a procurement contract within a period of three years preceeding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant of debarment proceeding;
5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in public procurement Act, the Rajasthan Transparency in public procurement Rules and this Bidding Document, Which materially affects fair competition;
6. We have complied and shall continue to comply with the code of integrity as specified in the Rajasthan Transparency in public Procurement Act, the Rajasthan Transpanerncy in public procurement rules and this bidding document, till Completion of our entire obligation under the contract.

Signature of Bidder**Date:****Name:****Place:****Designation:****Address:****Mobile No. :****E-mail id :**

-: अण्डर टेकिंग :-

(राशि 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

निविदा के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियों सही व सत्य है, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा कार्य प्रतिभूति राशि जब्त करने के लिये आप अधिकृत है।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा कार्य प्रतिभूति राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैंने/हमारे कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते है कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नहीं होगा तथा अगर मैंने/हमने (1) अपनी निविदा दर की वैधता 90 दिवस से कम समय के लिए प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात् निविदा के निर्देशों की निर्धारित समय में पालना नही की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नही किया (4) निविदा प्रपत्र में अगर नगर निगम के आदेश/निर्देशों की पालना नही की तो नगर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। इन वाहनों से संबंधित सभी व्यय मैं/हमारे द्वारा वहन किया जायेगें।

मुझे/हमें यह ज्ञात है कि कार्य प्रतिभूति राशि का कार्य संतोष जनक समाप्त होने के पश्चात् मांग करने पर बिना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, शर्तों, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं/हम बाध्य हैं तथा सहमति देते है।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश की निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नही किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देते है।

महामारी में बजट में फर्म रिस्क एण्ड कॉस्ट निविदा होने पर मेरे द्वारा भुगतान किया जायेगा या नगर निगम स्वतंत्र है।

**निविदादाता का नाम
व हस्ताक्षर मय सील**

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/ shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is _____

The designation and address of the Second Appellate Authority is _____

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal Noof

Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....
.....
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....
.....
.....

Place

Date

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने
..... निविदा दी है।

यदि उक्त निविदा में दी गई जानकारी असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्णरूप में समपहन्त कर लिया जाएगा तथा निविदा का, जिस सीमा तक उस स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाये।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम
पूर्ण पता

टेलीफोन नं० (निवास)
(कार्यालय)

MUNICIPAL CORPORATION BIKANER

Name of Work: O&M work of all installed CCMS at Bikaner Municipal Area.

"G-Schedule"

Sr. No.	Item/Work Description	Qty	Units	Estimated Rates	Total Amount (in Rs.)
1	CCMS maintenance work under Municipal Corporation Bikaner area on per ccms per month basis for 01 year. Scope of Work includes providing labour/manpower, replacement/repair of damaged/defective/burnt parts of ccms panels, Web based functionality including instaneous position of electrical parameters like voltage, current, power factor, phase/power availability, fault/error trigger. Online/Web based functionalities as per scope of work mentioned in tender documents. Complete maintenance in all respect.	503.00	Per CCMS Per Month		
2	SITC of ccms panel of rating 7.5 kw single phase	4.00	Each		
3	SITC of ccms panel of rating 15 kw three phase	1.00	Each		
				Total Amount :-	
				Say Amount :-	45.35 Lacs

I/we agree to do the work as per specification and BMC terms & conditions as per 'H-Schedule' @ Rs./- .

Signature of Contractor with Seal